भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1720

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/ 19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है

वर्तमान कर छूट ढांचा

1720. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने वर्तमान कर छूट ढांचे में खामियों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ख) सरकार किस प्रकार निगमों के लिए कर लाभ के प्रावधान को व्यक्तिगत करदाताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए प्रयोज्य आय बढ़ाने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने की योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार की घोषित नीति छूट, कटौती और प्रोत्साहन को हटाने के साथ-साथ कॉर्पोरेट और व्यक्तियों पर लागू आयकर की दरों को कम करना है।

उपरोक्त वर्णित नीति के अनुरूप,–

- कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019, में अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम में धारा 115खकक को शामिल किया गया है ताकि मौजूदा घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 22% की रियायती दर पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया जा सके, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वे कोई विनिर्दिष्ट कटौती या प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाएंगे।
- वित्त अधिनियम, 2020 ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 115खकग के अंतर्गत नई कर व्यवस्था शुरू की, जिसमें व्यक्ति और एचयूएफ को कतिपय शर्तों के अधीन निचली स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया, जिसमें यह भी शामिल है कि वे विनिर्दिष्ट कर छूट या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं। वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से कर देयता को कम करने के लिए उक्त व्यवस्था में सुधार किया गया और कुछ अन्य व्यक्तियों तक इसका विस्तार किया गया।
- वित्त अधिनियम, 2020 ने अन्य बातों के साथ-साथ, कॉरपोरेट्स द्वारा 15% की दर से भुगतान किए जाने वाले लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें इस कर देयता से राहत मिली। अब, शेयरधारकों के हाथों में लाभांश पर लागू स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं के हाथों में अधिक आय बचती है, जिनकी आय कम स्लैब दरों पर कर योग्य होती है।

इसके अलावा, व्यक्तिगत करदाताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए प्रयोज्य आय बढ़ाने के लिए, वित्त विधेयक, 2025 में नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग की कर देयता काफी हद तक कम हो जाएगी और उनके हाथों में अधिक धन बचेगा।

****